



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255737
CG-DL-E-25072024-255737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2800]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2800]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2937(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 85 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1997 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

2. उक्त अधिसूचना में, शीर्षक "धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत, क्रम संख्या 19, 20, 21 और 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

19	श्री नीरज कुमार (आईएएस), निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
20	श्री नाज़िम-ज़ई-खान, आईएएस, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जम्मू और कश्मीर	सदस्य
21	श्रीमती एस्तेर लाल रुआत्किमी, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मिजोरम सरकार	सदस्य
22	श्री संपत कुमार, आईएएस, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार।	सदस्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

[फा. सं. वी.11011/03/2023-पीएनडीटी]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का. आ. 85 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी और संख्या का. आ 160 (अ) दिनांक 28 फरवरी, 1998 के तहत संशोधित की गई और संख्या का. आ 694 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998, का. आ 61 (अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; एसओ 114 (ई) दिनांक 1 फरवरी, 2000; का. आ 349 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का. आ 931 (अ) दिनांक 19 सितंबर, 2001; का. आ 590 (अ) दिनांक 31 मई, 2002; का. आ 1191 (अ) दिनांक 12 नवंबर, 2002; का. आ 703 (अ) दिनांक 18 जून, 2003 के तहत आगे संशोधित की गई; का. आ 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; का. आ 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004; का. आ 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004; का. आ 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004; का. आ 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; का. आ 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006; का. आ 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; का. आ 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008; का. आ 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009; का. आ 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009; का. आ 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011; का. आ 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012; का. आ 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012; का. आ 2613(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012; का. आ 2825(अ) दिनांक 22 नवंबर, 2012; का. आ 43(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2012; का. आ 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013; का. आ 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014; का. आ 2520(अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014; का. आ 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014; का. आ 1459(अ) दिनांक 1 जून, 2015; का. आ 2458(अ) दिनांक 4 सितम्बर, 2015; का. आ 3097(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2015; का. आ 4111(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2016; का. आ 132(अ) दिनांक 10 जनवरी, 2018; का. आ 275(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 276(अ) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का. आ 1794(अ) दिनांक 2 मई 2018; का. आ 143(अ) दिनांक 9 जनवरी 2019; का. आ 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019; तथा का. आ 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; का. आ 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; का. आ 3636 (अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2019, का. आ 4123(अ) दिनांक 17 नवंबर 2020 और का. आ 4354(अ) दिनांक 14 सितंबर 2022

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health And Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 2937(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

- In the said notification, under the heading “Appointed under clause (g) of sub-section (2) of section 7”, for serial numbers 19, 20, 21 and 22 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely: -

19	Sh. Neeraj Kumar (IAS), Director, Directorate Health Safety & Regulation, Himachal Pradesh	Member
20	Sh. Nazim-Zai-Khan, IAS, Mission Director, National Health Mission, Jammu & Kashmir	Member
21	Smt. Esther Lal Ruatkimi, Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of Mizoram	Member
22	Shri Sampath Kumar, IAS, Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Meghalaya.	Member

Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. V.11011/03/2023-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, *vide* no. S.O.85 (E), dated 5th February, 1997 and amended *vide* No. S.O.160 (E) dated 28th February, 1998 and further amended *vide* Nos. S.O. 694(E) dated 13th August, 1998, S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O.114(E) dated 1st February, 2000; S.O.349(E) dated 20th April, 2001; S.O.931(E) dated 19th September, 2001; S.O.590(E) dated 31st May, 2002; S.O.1191 (E) dated 12th November, 2002; S.O.703(E) dated 18th June, 2003; S.O.1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O.99(E) dated 20th January, 2004; S.O.367(E) dated 17th March, 2004; S.O.937(E) dated 19th August, 2004; S.O.1008(E) dated 16th September, 2004; S.O.56(E) dated 19th January, 2006; S.O.199(E) dated 10th February, 2006; S.O.200(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O.1506(E) dated 20th June, 2008; S.O.130(E) dated 6th January, 2009; S.O.2143(E) dated 20th August, 2009; S.O.779(E) dated 28th April, 2011; S.O.85(E) dated 11th January, 2012; S.O.1272(E) dated 25th May, 2012; S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012; S.O. 2825(E) dated 22nd November, 2012; S.O. 43(E) dated 31st December, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21st May, 2013; S.O. 306(E) dated 31st January, 2014; S.O. 2520(E) dated 26th September, 2014; S.O. 2587(E) dated 2nd October, 2014; S.O. 1459(E) dated 1st June, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4th September, 2015; S.O. 3097(E) dated 9th November, 2015; S.O. 4111(E) dated 22nd December, 2016; S.O. 132(E) dated 10th January, 2018; S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2nd May 2018; S.O. 143(E) dated 9th January 2019; S.O. 1934(E) dated 10th June 2019; and S.O. 2779(E) dated 2nd August 2019; S.O. 3558(E) dated 1st October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10th October 2019, S.O.4123(E) dated 17th November 2020 and S.O.4354(E) dated 14th September 2022.